



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275354
CG-DL-E-10082026-275354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 227]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

फा. सं. एम-12043(11)/56/2025-ओएमसी-पीएनजी.— भारत सरकार ने दिनांक 08.11.2019 को संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी अधिसूचित किया था। इसके तहत निजी क्षेत्र सहित नई कंपनियों को परिवहन ईंधन, जैसे मोटर स्प्रीट (एमएस) और हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी) के विपणन प्रदान करने के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया था। साथ ही, पहले से प्राधिकृत कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के लिए नियमों और शर्तों में भी कुछ संशोधन किए गए थे।

2. जबकि केंद्र सरकार को यह ज़रूरी लगा कि दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के तहत एमएस/एचएसडी के लिए विपणन प्राधिकार प्रदान करने के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की जाए; ऊर्जा सुरक्षा और बाज़ार की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जाए; और इस ढांचे को डीकार्बोनाइज़ेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने जैसी उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाएं। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के प्रावधानों को लागू करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए दिनांक 03.07.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम-12043(11)/56/2025-ओएमसी-पीएनजी के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

3. जबकि उक्त विशेषज्ञ समिति ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने और परामर्श के दौरान तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 06.08.2025 के सार्वजनिक नोटिस के जवाब में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने के बाद और साथ ही जनहित, व्यापार करने में आसानी, जहां आवश्यक हो, वहां स्पष्टता लाने, अनुपालन और निगरानी को सरल बनाने, कम सेवा प्राप्त उपभोक्ताओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक खुदरा बिक्री केंद्र खोलने, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा परिवहन ईंधन की विपणन के लिए अनुकूल इकोसिस्टम की सुविधा देने आदि बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. केंद्र सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट और उसमें शामिल सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 08.11.2019 के उक्त संकल्प के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

5. अतः अब, दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के पैरा 13.3 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार जनहित में उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करती है:

i. पैरा 3 के पश्चात, निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण- इस संकल्प के प्रयोजन के लिए, "एमएस" और "एचएसडी" का वही अर्थ होगा जो मोटर स्प्रीट और उच्च वेज डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में परिभाषित एवं समय-समय पर यथासंशोधित हो।";

ii. पैरा 6.1.1 में, शब्दों "द्वारा इस संबंध में लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित विवरण सहित केंद्र सरकार को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।" के स्थान पर, "प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्र सरकार को लेखापरीक्षित लेखाओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ इस आशय का विधिवत शपथपत्र संलग्न होगा कि इकाई ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यूनतम निवल संपत्ति की अपेक्षा को बनाए रखा है।" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

iii. पैरा 6.1.3 में, -

(क) शब्दों "प्राधिकृत कंपनियों द्वारा अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) में उक्त बिक्री केन्द्र का प्रचालन शुरू करने से तीन वर्ष के भीतर कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का विपणन करने, इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट आदि की सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है" के स्थान पर, "पारंपरिक ईंधनों के अतिरिक्त, प्राधिकृत इकाइयों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे प्रत्येक तीसरे खुदरा बिक्री केंद्र पर, उसके परिचालन में आने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन, जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट आदि अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन, के विपणन हेतु सुविधाएं स्थापित करें" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्दों "सभी सांविधिक दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रही हो।" के बाद, "केंद्र सरकार प्रत्येक तीन वर्ष में ऐसे खुदरा बिक्री केंद्रों का प्रतिशत पुनरीक्षित कर सकती है, जिन पर कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन की स्थापना किया जाना अपेक्षित होगा। प्राधिकृत इकाइयों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे खुदरा बिक्री केंद्रों पर ऐसे नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन के प्रकार और संख्या में सुविधाएं स्थापित करें।" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

iv. पैरा 6.1.3 के बाद, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6.1.3.1 खुदरा बिक्री केंद्रों पर वैकल्पिक ईंधन सुविधा के अनुपालन की निगरानी हेतु निम्नलिखित कार्यप्रणाली लागू होगी:

i. दिनांक 08.11.2019 से इस संशोधन की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान स्थापित किए गए आरओ के लिए:-प्राधिकृत इकाइयों को इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसमें स्थापित किए गए आरओ की संख्या, तीन वर्ष से अधिक समय से परिचालन में आरओ की संख्या, और उन शुरू किए गए आरओ की संख्या (देशांतर-अक्षांश की जानकारी के साथ) जहाँ वैकल्पिक ईंधन की सुविधा दी गई है और अगर कोई कमी है, तो उसकी जानकारी देनी होगी। किसी भी कमी की स्थिति में, इकाई को अगले छह माह के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यदि प्राधिकृत इकाई उक्त छह माह के भीतर अपेक्षित संख्या में आरओ पर वैकल्पिक ईंधन सुविधाएं स्थापित करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार संबंधित इकाई पर प्रत्येक कमी वाले खुदरा बिक्री केंद्र के लिए ₹10 लाख (रुपये दस लाख) का एकमुश्त जुर्माना अधिरोपित करेगी।

ii. तत्पश्चात अनुपालन का आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में, पैरा 6.1.3 के अनुसार किया जाएगा। किसी कमी की स्थिति में, केंद्र सरकार संबंधित इकाई पर प्रत्येक कमी वाले खुदरा बिक्री केंद्र के लिए ₹10 लाख (रुपये दस लाख) का जुर्माना अधिरोपित करेगी।

यदि संख्या दशमलव में आती है, तो अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा। (उदाहरण के लिए यदि प्रतिशत 4.2 हो जाता है, तो इसे 5 पर पूर्णांकित किया जाएगा);

v. पैरा 6.2 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6.2 आवेदन प्रक्रिया

खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई केंद्र सरकार को 25 लाख रुपये (पच्चीस लाख रुपये) के अपेक्षित गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित निर्धारित तरीके से आवेदन करेगी। कंपनी को कम से कम 100 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने होंगे जिनमें से स्थापना हेतु प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के कम से कम पांच प्रतिशत (5%) बिक्री केन्द्र पैरा 6.2.1 में बताई गई समय सीमा के अनुसार प्राधिकार प्रदान किए जाने से 5 वर्ष के भीतर अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित करने होंगे। वर्ष की गणना प्राधिकरण प्रदान किए जाने की तारीख से की जाएगी।

सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले योग्य आवेदकों को पूरा आवेदन जमा करने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा।

इकाई को एलओआई जारी होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के भीतर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एलओआई धारक के अनुरोध पर और नब्बे (90) दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :

(i) यथानिर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पांच वर्ष के लिए वैध अपेक्षित बैंक गारंटी (बीजी);

(ii) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध पक्का आपूर्ति करार।

अपेक्षित बैंक गारंटी, पक्का आपूर्ति करार को जमा करने तथा सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के बाद, सभी अपेक्षित दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर इकाई को निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त दस्तावेज़ों को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने पर एलओआई को बिना किसी अन्य कार्रवाई के रद्द किया जा सकता है।

प्राधिकृत इकाईयां द्वारा अनिवार्यतः दूरस्थ क्षेत्र के खुदरा बिक्री केंद्र सहित सभी खुदरा बिक्री केंद्रों पर एमएस तथा एचएसडी दोनों की सुविधाएं प्रदान करना होगा। यह इस संशोधन की अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

स्पष्टीकरण- इस संकल्प के प्रयोजन के लिए, "खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ)" का अर्थ पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 2 (xxiv) में परिभाषित "सर्विस स्टेशन" है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत इकाई को आरओ के स्थापित होने के साक्ष्य के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

- वैध पीईएसओ लाइसेंस;
- डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए विधिक माप विज्ञान का अंशांकन प्रमाण-पत्र;
- आरओ को एमएस तथा एचएसडी की प्रथम आपूर्ति दर्शाने वाला उत्पाद चालान;
- आरओ से एमएस तथा एचएसडी की प्रथम बिक्री दर्शाने वाला चालान; तथा
- स्थापित किए गए आरओ की जियो-टैग की गई तस्वीरें।”;

vi. पैरा 6.2.1 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“6.2.1 दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों को स्थापित करने का कार्यक्रम

प्राधिकृत इकाई को प्राधिकार प्रदान किए जाने/विपणन योजना (योजनाओं) के अनुमोदन की तिथि से, जैसा भी लागू हो, पांच वर्ष के भीतर अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में प्रस्तावित आरओ में से न्यूनतम पांच प्रतिशत (5%) आरओ स्थापित करना अपेक्षित होगा।”;

vii. पैरा 6.2.2 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“6.2.2 विपणन योजना

खुदरा विपणन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई को अपने आवेदन के साथ न्यूनतम एक सौ (100) खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने की विपणन योजना भी प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना में वर्षवार स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या का विवरण देना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विपणन योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपूर्ति का स्रोत के साथ न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध पक्का आपूर्ति करार;
- अपनी क्षमता के साथ टैंक और अन्य बुनियादी ढांचे;
- डिपो और आरओ को उत्पादों के परिवहन के साधन; तथा
- आरओ की वर्षवार प्रस्तावित संख्या।

इसके अतिरिक्त, तत्पश्चात विपणन योजना (योजनाएं) केवल 100 आरओ के गुणज में ही प्रस्तुत की जाएंगी। कोई इकाई अपनी आगामी विपणन योजना प्रस्तुत करने के लिए तभी पात्र होगी, जब वह अपने दूरस्थ क्षेत्र संबंधी दायित्व का 100 प्रतिशत तथा अपनी मौजूदा अनुमोदित विपणन योजना (योजनाओं) के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत आरओ स्थापित कर चुकी हो। केंद्र सरकार ऐसी विपणन योजना (योजनाओं) के लिए प्रस्तुत आवेदन, अपेक्षित दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर संसाधित करेगी।

दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़कर, विपणन योजना से अधिक अथवा विपणन योजना के अनुमोदन के बिना प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी भी आरओ के स्थापित किए जाने पर इसपर प्रति आरओ ₹10 लाख (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगेगा और उक्त जुर्माने के भुगतान पर उसे नियमित और तत्पश्चात विपणन योजना में समाहित किया जाएगा। ऐसे स्थापित किए गए अतिरिक्त आरओ लागू प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ क्षेत्र दायित्व निर्धारित करने की गणना में शामिल किए जाएंगे। इकाई द्वारा विपणन योजना के बिना अथवा अनुमोदित विपणन योजना से अधिक स्थापित किए गए प्रत्येक 100 आरओ के लिए, लागू दूरस्थ क्षेत्र बैंक गारंटी के साथ-साथ अनुशासित व्यवहार बनाए रखने हेतु ₹2 करोड़ (रुपये दो करोड़) की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा। ऐसे स्थापित 100 से कम आरओ की स्थिति में समानुपातिक आधार पर इकाई को लागू प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ क्षेत्र दायित्व और अनुशासित व्यवहार बीजी देना अपेक्षित होगा। यह प्रावधान 08.11.2019 के पश्चात तथा इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि तक स्थापित किए गए अतिरिक्त आरओ को भी विनियमित करेगा।”;

viii. पैरा 6.2.3.1 में, संख्याओं, अक्षरों और शब्दों “5 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं. पी-23015/1/2003-विपणन.” के स्थान पर, “13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. एम-12029(11)/5/2020-ओएमसी-पीएनजी” संख्याओं, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ix. पैरा 6.2.3.2 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6.2.3.2 इकाई के लिए दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों के प्रति अपने दायित्व के संबंध में निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध होंगे, जिन्हें उन्हें आवेदन के समय ही चुनना होगा :

विकल्प-1: यदि इकाई स्वयं ऐसा बिक्री केंद्र स्थापित नहीं करना चाहती तो उसे केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकार प्रदान किए जाने के एक महीने के भीतर प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ 2 करोड़ रुपए (दो करोड़ रुपए) का अग्रिम भुगतान करना होगा।

विकल्प-2: यदि आवेदक इकाई ऐसे आरओ स्वयं स्थापित करना चाहती है, तो वह एलओआई जारी होने की तिथि से नब्बे (90) दिनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) की बैंक गारंटी (बीजी) जमा करेगी। इसके अनुपालन की निगरानी प्राधिकार प्रदान किए जाने/विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन की तिथि, जैसा भी लागू हो, के पांच वर्ष के अंत में की जाएगी।”;

x. निम्नलिखित को पैरा 6.2.3.2 के बाद पैरा 6.2.3.3 के रूप में अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् :-

“6.2.3.3 यदि प्राधिकृत इकाई प्राधिकार प्रदान किए जाने/विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन की तिथि से, जैसा भी लागू हो, के पांच वर्ष के भीतर अपेक्षित दूरस्थ क्षेत्र आरओ स्थापित करने में विफल रहती है, तो ऐसी इकाई निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक को चुन सकती है:

विकल्प-I: दूरस्थ क्षेत्र के आरओ में कमी के बराबर प्रति आरओ ₹3 करोड़ की दर से बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा दूरस्थ क्षेत्र संबंधी दायित्व का अनुपालन।

विकल्प-II: कमी वाले दूरस्थ आरओ सहित, कमी का अतिरिक्त पचास प्रतिशत (50%) आरओ (अगली उच्चतर पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित) को अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर लगाना होगा। यह अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से आरंभ होगी।

पहले से स्थापित किए गए प्रत्येक दूरस्थ क्षेत्र आरओ के लिए ₹3 करोड़ की दर से प्रस्तुत बैंक गारंटी को समायोजित करने के पश्चात, इकाई को, कमी वाले आरओज तथा अतिरिक्त आरओज, दोनों को सम्मिलित करते हुए, प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ की दर से अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर कमी वाले दूरस्थ क्षेत्र आरओ तथा अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र आरओ को स्थापित करने में इकाई विफल होती है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर ₹3 करोड़ प्रति कमी वाले आरओ के बराबर बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाएगा।

जिन प्राधिकृत इकाइयों ने अपने प्राधिकार /विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन, जैसा भी लागू हो, के पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उन्हें इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पैरा 6.2.3.3 में विस्तृत विकल्प I या विकल्प II में से किसी एक का प्रयोग करना अपेक्षित होगा।

जिन प्राधिकृत इकाइयों ने अपने प्राधिकार/विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन, जैसा भी लागू हो, के पांच वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, उन्हें प्राधिकार/विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन के पांचवें वर्ष की समाप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पैरा 6.2.3.3 में विस्तृत विकल्प I या विकल्प II में से किसी एक का प्रयोग करना अपेक्षित होगा।

यदि प्राधिकृत इकाई पैरा 6.2.3.3 में अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार विकल्प I या विकल्प II चुनने में विफल रहती है, तो दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के अननुपालन के लिए पैरा 6.2.3.3 के विकल्प I के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी मामले जहां दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के अननुपालन के लिए बीजी का पहले ही नकदीकरण अथवा जुर्माना अदा किया जा चुका है, उन्हें बंद मामले माना जाएगा और उन्हें पुनः नहीं खोला जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार प्रदान किए जाने/विपणन योजना के अनुमोदन, जैसा भी लागू हो, के तीसरे तथा चौथे वर्ष की समाप्ति पर दूरस्थ क्षेत्र में आरओ स्थापित करने में विफल होने के कारण अपेक्षित बीजी का पहले ही नकदीकरण किया जा चुका है, और इकाई तत्पश्चात संचयी आधार पर अनुबद्ध पांच वर्ष की अवधि के भीतर दूरस्थ क्षेत्र आरओ को स्थापित करती है, तो ऐसे स्थापित किए गए आरओ को तत्पश्चात विपणन योजना(योजनाओं) के अंतर्गत भविष्य के दूरस्थ क्षेत्र दायित्वों में समायोजित किया जा सकेगा।

जिन इकाइयों ने दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के अननुपालन हेतु बीजी नकदीकरण किये जाने के संबंध में किसी न्यायालय का रुख किया है और वह पैरा 6.2.3.3 में विस्तृत विकल्प II का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें बिना किसी शर्त अदालती मामला वापस लेना होगा।”;

xi. मौजूदा पैरा 6.2.3.3 को पैरा 6.2.3.4 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा;

xii. पैरा 6.2.5 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6.2.5 बैंक गारंटी (बीजी) और जुर्माना

इकाई प्राधिकार प्रदान किए जाने/विपणन योजना(योजनाओं) के अनुमोदन के समय निम्नलिखित के प्रति केंद्र सरकार के पास बैंक गारंटी (बीजी) जमा करेगी:

i. **दूरस्थ क्षेत्र दायित्व:** प्राधिकृत इकाई द्वारा दूरस्थ क्षेत्र अनुपालन को पैरा 6.2.1, पैरा 6.2.3.2 तथा पैरा 6.2.3.3 के अनुसार विनियमित किया जाएगा। यदि प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति, पैरा 6.2.1, पैरा 6.2.3.2 तथा पैरा 6.2.3.3 में विस्तृत समय-सीमाओं के अनुसार किसी भी दूरस्थ क्षेत्र आरओ को स्थापित करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार दायित्वों की तुलना में स्थापित करने में हुई कमी के अनुरूप प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) के बराबर बीजी का नकदीकरण करेगी। इकाई के पास दायित्वों की तुलना में आरओ स्थापित करने में हुई कमी के अनुरूप प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) का जुर्माना भरने करने का भी विकल्प होगा। प्रति दूरस्थ आरओ ₹3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) की बीजी को केंद्र सरकार द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब प्राधिकृत इकाई ने विपणन योजना के प्रतिकूल अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन कर लिया हो, चाहे अनुबद्ध समय के भीतर आरओ स्वयं स्थापित करके या कमी वाले प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) का जुर्माना अदा करके।

तथापि, यदि इकाई ने उपर्युक्त पैरा 6.2.3.2 में विकल्प I को चुना है, तो दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना को पूरा करने के लिए उनसे कोई बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी।

ii. **अनुशासित व्यवहार बनाए रखना:** प्राधिकृत इकाई सार्वभौमिक सेवा दायित्व की अनुपालन करने, अपने परिचालनों के संबंध में जनता/डीलरों को उचित प्रतिनिधित्व करने, ग्राहकों को उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा प्रदान करने, अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर आरओ पर वैकल्पिक ईंधन का प्रावधान करने तथा केंद्र सरकार या उसकी नामित एजेंसी को अपने आधारभूत ढांचे/बिक्री/परिचालनों आदि के बारे में समय पर तथा नियमित जानकारी उपलब्ध कराने के संदर्भ में अनुशासित व्यवहार बनाए रखने हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी :

(क) प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय ₹5 करोड़ (रुपये पांच करोड़) की बीजी।

(ख) पश्चातवर्ती विपणन योजना (योजनाओं) के लिए प्रति 100 आरओ ₹2 करोड़ (रुपये दो करोड़) की बीजी।

जुर्माना:

केंद्र सरकार अनुशासनहीनता के प्रत्येक प्रमाणित मामले में प्रति मामला 25 लाख रुपए (रुपए 25,00,000/-) का जुर्माना लगा सकती है और इकाई को जुर्माना लगाए जाने के एक माह के भीतर उसका भुगतान करना होगा।

यदि प्राधिकृत इकाई उपर्युक्त पैरा 6.1.3 तथा 6.1.3.1 में अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार आरओ पर वैकल्पिक ईंधन सुविधा स्थापित करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार कमी वाले प्रति आरओ ₹10 लाख (रुपये दस लाख) का जुर्माना लगाएगी और इकाई को जुर्माना लगाए जाने के एक माह के भीतर उसका भुगतान करना होगा।

दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़कर, विपणन योजना से अधिक अथवा विपणन योजना के अनुमोदन के बिना प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी भी आरओ के स्थापित किए जाने पर केंद्र सरकार इकाई पर प्रति आरओ ₹10 लाख (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाएगी और इकाई को जुर्माना लगाए जाने के एक माह के भीतर उसका भुगतान करना होगा।

यदि प्राधिकृत इकाई जुर्माना लगाए जाने के एक माह के भीतर उसका भुगतान करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार जुर्माने की राशि के बराबर बीजी नकदीकरण करेगी और प्राधिकृत इकाई को बीजी के नकदीकरण किए जाने की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर बीजी को पूर्ण मूल्य तक पुनः पूरित करना होगा।

iii. अनुशासन बनाए रखने में बार-बार चूक होने की स्थिति में, दूरस्थ क्षेत्र दायित्व तथा अनुशासित व्यवहार बनाए रखने के प्रति केंद्र सरकार के पास जमा दोनों बैंक गारंटी का सरकार द्वारा नकदीकरण कर लिया जाएगा और प्राधिकृत इकाई द्वारा सरकार के पास जमा/अदा की गई कोई भी राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में विपणन प्राधिकार को भी रद्द कर सकती है।

iv. इकाई को अपने द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को उसकी समाप्ति के कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण कराना होगा। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, सरकार को उक्त बीजी को उसकी समाप्ति से पूर्व नकदीकरण करने की स्वतंत्रता होगी।”;

xiii. पैरा 7.1 में, शब्दों “लेखा परीक्षित विवरण के साथ केंद्र सरकार को इस संबंध में एक वार्षिक विवरणी दाखिल करनी होगी।” के स्थान पर, “प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्र सरकार को लेखापरीक्षित लेखाओं से संबन्धित विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ इस आशय का विधिवत शपथपत्र संलग्न होगा कि इकाई ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यूनतम निवल संपत्ति की अपेक्षा को बनाए रखा है। “ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

xiv. पैरा 7.2 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7.2 आवेदन प्रक्रिया

थोक विपणन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई केंद्र सरकार को 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) के अपेक्षित गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित निर्धारित तरीके से आवेदन करेगी और उसे अप्रतिदेय प्राधिकार शुल्क के रूप में 15 करोड़ रुपए (पंद्रह करोड़ रुपए) की राशि प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय अग्रिम भुगतान के रूप में देनी होगी।

थोक विपणन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई केंद्र सरकार को अपने आवेदन में निम्नलिखित विवरण के साथ विपणन योजना प्रस्तुत करेगी :

- विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपूर्ति का स्रोत के साथ न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध पक्का आपूर्ति करार;
- उनकी क्षमता के साथ टैंकज और अन्य बुनियादी ढांचे;
- डिपो और थोक ग्राहकों को उत्पादों के परिवहन के साधन; तथा
- कवर किए जाने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और किस्म।

सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले योग्य आवेदकों को पूरा आवेदन जमा करने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा।

इकाई को एलओआई जारी होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के भीतर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एलओआई धारक के अनुरोध पर और नब्बे (90) दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :

(i) यथानिर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पांच वर्ष के लिए वैध अपेक्षित बैंक गारंटी ।

(ii) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध पक्का आपूर्ति करार ।

अपेक्षित बैंक गारंटी, पक्का आपूर्ति करार को जमा करने तथा सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के बाद, सभी अपेक्षित दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर इकाई को निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार प्रदान किया जाएगा । उपर्युक्त दस्तावेज़ों को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने पर एलओआई को बिना किसी अन्य कार्रवाई के रद्द किया जा सकता है।”;

xv. पैरा 8 में, संख्या और शब्द "5 और 6" के स्थान पर, "5, 6 और 7" संख्या और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

xvi. पैरा 9.1 में –

(क) उप-पैरा i. में, शब्द "समय-सीमा" के स्थान पर, "समय सीमा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा ii., खंड ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ख) नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष और छह माह के भीतर दूरस्थ क्षेत्र के आरओ की स्थापना के लिए सुरक्षा के रूप में प्रति दूरस्थ आरओ 3 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा किया जाए। यदि इकाई अनुबद्ध समय के भीतर इन दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना करने में विफल रहती है, तो इकाई को इन दिशा-निर्देशों की अधिसूचना के एक माह के भीतर निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा:

विकल्प-I: दूरस्थ क्षेत्र के आरओ में कमी के बराबर प्रति आरओ ₹3 करोड़ की दर से बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा दूरस्थ क्षेत्र संबंधी दायित्व का अनुपालन।

विकल्प-II: कमी वाले दूरस्थ आरओ सहित, कमी का अतिरिक्त पचास प्रतिशत (50%) आरओ (अगली उच्चतर पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित) को अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर लगाना होगा। यह अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से आरंभ होगी।

पहले से स्थापित किए गए प्रत्येक दूरस्थ क्षेत्र आरओ के लिए ₹3 करोड़ की दर से प्रस्तुत बैंक गारंटी को समायोजित करने के पश्चात, इकाई को, कमी वाले आरओज तथा अतिरिक्त आरओज, दोनों को सम्मिलित करते हुए, प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड़ की दर से अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर कमी वाले दूरस्थ क्षेत्र आरओ तथा अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र आरओ को स्थापित करने में इकाई विफल होती है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर ₹3 करोड़ प्रति कमी वाले आरओ के बराबर बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाएगा।”;

(ग) उप-पैरा iii के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“पारंपरिक ईंधनों के अलावा, प्राधिकृत इकाई को अपने आरओ में उपर्युक्त पैरा 6.1.3 और 6.1.3.1 के अनुसार कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधाएँ स्थापित करना अपेक्षित होगा।”;

(घ) उप-पैरा v. के पश्चात, निम्नलिखित को उप-पैरा vi. के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“इसके अतिरिक्त, कोई भी तत्पश्चात् विपणन योजना तथा उसकी विषय-वस्तु, उसे प्रस्तुत और कार्रवाई करने की शर्तें, विपणन योजना से अधिक अथवा विपणन योजना के अनुमोदन के बिना स्थापित किए गए आरओ का विनियमन, दंडात्मक प्रावधान, अनुशासित व्यवहार बनाए रखने और दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के प्रति बीजी प्रस्तुत करने आदि उपरोक्त पैरा 6.2.2 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होंगे।”;

xvii. पैरा 9.2 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“9.2 मौजूदा पीएसयू ओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) के मामले में विपणन:

i. पीएसयू ओएमसी को दूरस्थ क्षेत्रों में कम से कम पांच प्रतिशत (5%) आरओ स्थापित करना अपेक्षित होगा। उन्हें इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर एक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें 08.11.2019 से इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि तक उनके द्वारा स्थापित आरओ की कुल संख्या, इस अवधि के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित आरओ की संख्या तथा दूरस्थ क्षेत्रों में यदि कोई कमी हो, शामिल होगा। किसी भी कमी की स्थिति में, इकाइयों को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा:

विकल्प-I: दूरस्थ क्षेत्र आरओ की कमी के बराबर सरकार के पास ₹3 करोड़ प्रति आरओ की दर से जुर्माना जमा कर दूरस्थ क्षेत्र संबंधी दायित्व का अनुपालन।

विकल्प-II: कमी वाले दूरस्थ आरओ सहित, कमी का अतिरिक्त पचास प्रतिशत (50%) आरओ (अगली उच्चतर पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित) को अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर लगाना होगा। यह अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से आरंभ होगी।

यदि अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर कमी वाले दूरस्थ क्षेत्र आरओ और अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र आरओ स्थापित नहीं होता है, तो कमी वाले प्रति आरओ ₹3 करोड़ की दर से जुर्माना लगाए जाने के एक माह की अवधि के भीतर केंद्र सरकार के पास जमा करवाना होगा।

यदि कोई पीएसयू ओएमसी इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प I या विकल्प II चुनने में विफल रहती है, तो दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के अनुपालन के लिए पैरा 9.2.i के विकल्प I के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ii. इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि के पश्चात् स्थापित दूरस्थ क्षेत्र आरओ के अनुपालन को उपरोक्त पैरा 9.2.i के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर विनियमित किया जाएगा।

iii. पीएसयू ओएमसी को दूरस्थ क्षेत्र दायित्वों की पूर्ति के प्रति बीजी जमा करने से छूट होगी। तथापि, दूरस्थ क्षेत्र आरओ स्थापित करने में विफल के मामले में जुर्माना उन पर लागू होगा।

iv. पारंपरिक ईंधनों के अलावा, पीएसयू ओएमसी को अपने आरओ में उपरोक्त पैरा 6.1.3 और 6.1.3.1 के अनुसार कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधाएँ स्थापित करना अपेक्षित होगा।

v. थोक विपणन के लिए नई इकाइयों द्वारा देय 15 करोड़ रुपए (पंद्रह करोड़ रुपए) प्राधिकार शुल्क और 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी लागू नहीं होगी।”;

xviii. पैरा 11 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“11. प्राधिकार वापस करना

11.1 यदि कोई इकाई किसी भी समय अपने प्राधिकार को वापस करना चाहती है, तो उसे इस संबंध में केंद्र सरकार को इसका कारण बताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। केंद्र सरकार सामान्यतः सभी देय राशि/विवादों का निपटारा करने जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है, के बाद प्राधिकार को वापस करने की अनुमति देगी :

i. प्राधिकार प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर: अनुशासित व्यवहार बनाए

रखने हेतु बीजी ज़ब्त कर ली जाएगी और दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के प्रति जमा बीजी समस्त बकाया/विवादों का निपटान करने के पश्चात जारी की जाएगी।

ii. प्राधिकार प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात: अनुशासित व्यवहार बनाए

रखने हेतु बीजी के साथ दूरस्थ क्षेत्र दायित्व के प्रति जमा बीजी ज़ब्त कर ली जाएगी।

11.2 प्राधिकार वापस करना इस बात के अधीन होगा कि इकाई केंद्र सरकार को उस कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या देनदारी से मुक्त रखेगी, जो इकाई द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकार के आधार पर की गई है या की जानी समझी गई है।";

6. इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

अरुण कुमार, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 10th August, 2026

F. No M-12043(11)/56/2025-OMC-PNG.—The Government of India had notified the Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08.11.2019 revising guidelines for granting authorisation to market transportation fuels viz, motor spirit (MS) and high speed diesel (HSD) to new entrants including private sector and also made certain amendments in the terms and conditions for the already authorised entities and the Public Sector Undertaking (PSU) oil marketing companies (OMCs).

2. Whereas, it appeared to the Central Government that, it is necessary to review the existing framework for grant of Market Authorisation for MS/HSD under the Resolution dated 08.11.2019, assess its effectiveness in ensuring energy security and market efficiency, and to take appropriate measures for aligning the framework with emerging priorities such as decarbonization, electric mobility, and promotion of alternative fuels. Accordingly, the Central Government constituted an Expert Committee vide OM No. M-12043(11)/56/2025-OMC-PNG dated 03.07.2025 to look at various issues related to implementation of the provisions of the said Resolution dated 08.11.2019

3. Whereas, the said Expert Committee submitted its report after having wide ranging consultation with all stakeholders and considering comments/suggestions received during consultation and in response to the public notice dated 06.08.2025 issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and keeping in view, the public interest, ease of doing business, bringing in clarity wherever required, simplifying compliance and monitoring burdens, opening more retail outlets in remote areas to serve underserved consumers, facilitating ecosystem conducive for marketing of transportation fuel by authorised entities etc.

4. The Central Government after considering the report of the said committee and recommendations contained therein has decided to amend the relevant provisions of the said Resolution dated 08.11.2019.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause 13.3 of the Resolution dated 08.11.2019, the Central Government, in public interest, hereby makes following amendments in the said Resolution:

i. After Para 3, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“Explanation- For the purpose of this Resolution, “MS” and “HSD” shall have the same meaning as defined in the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, as amended from time to time.”;

ii. In Para 6.1.1, for the words “would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement.”, the words “shall be required to file a statement every year before 30th of June

to the Central Government along with audited accounts statement duly supported by an affidavit to the effect that the entity has maintained minimum net worth requirement during the preceding financial year.” shall be substituted;

iii. In Para 6.1.3, -

- (a) for the words “etc. at their proposed retail outlets (RO) within three years of operationalization of the said outlet”, the words “or any new generation alternate fuel(s) as may be prescribed by the Central Government from time to time, at every third retail outlet (RO) within three years of its operationalization” shall be substituted;
- (b) after the words, “statutory guidelines as applicable.”, the words “The Central Government may review every three years, the percentage of ROs at which at least one new generation alternate fuel shall be required to be installed. The authorised entities are required to install such type and number of new generation alternate fuel on ROs.” shall be inserted;

iv. After Para 6.1.3, the following Para shall be inserted, namely: -

“6.1.3.1 For monitoring compliance of alternate fuel facility at ROs, the following methodology shall apply:

i. **For ROs commissioned during period from 08.11.2019 till the date of notification of this amendment:** Authorised entities shall be required to submit a statement indicating number of ROs commissioned, number of ROs in operation for more than three years, number of commissioned ROs with their longitude-latitude details where alternate fuel facility has been provided and shortfall if any, within one month from the date of notification of this amendment. In case of any shortfall, the entity shall ensure compliance within the subsequent six months. In case, the authorised entity fails to install alternate fuel facilities at the requisite number of ROs within the said six months, the Central Government shall levy one time penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO on the concerned entity.

ii. Subsequent compliance shall be assessed on the first day of every financial year in respect of preceding financial year as per Para 6.1.3 above. In case of any shortfall, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO on the concerned entity.

In case the number works out to be in decimals, the same would be rounded off to the next higher integer. (e.g. If the number works out to be 4.2, the same would be rounded off to 5)”;

v. For Para 6.2, the following Para shall be substituted, namely: -

“6.2 Application process

The entity seeking authorisation for retail marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh). The entity needs to set up at least hundred (100) ROs, out of which at least five percent (5%) of the proposed ROs shall be set up in the notified remote areas within five years of grant of authorisation as per timeline indicated in Para 6.2.1. The year will be calculated from the date of grant of authorisation.

Eligible applicants meeting all prescribed conditions shall be issued Letter of Intent (LOI) within sixty (60) days from the date of submission of complete application.

The entity shall be required to furnish following documents within ninety (90) days from the date of issuance of LOI, which may be extended by the Central Government for further period of ninety (90) days on the request of LOI holder:

- (i) Requisite BGs valid for minimum five years in the format as may be prescribed,
- (ii) Valid firm Supply Agreement for the products to be marketed, for a minimum period of five years.

Upon submission of the requisite BGs, firm Supply Agreement, and fulfillment of all requisite requirements, authorisation shall be granted to the entity in the prescribed format within Sixty (60) days from the date of submission of all requisite documents. Failure to submit the aforesaid documents within the stipulated period shall render the LOI liable to be summarily cancelled.

The authorised entities shall mandatorily provide both MS and HSD facility at all ROs including remote area ROs. This shall be applicable from the date of notification of this amendment.

Explanation-For the purpose of this Resolution, “retail outlet (RO)” means a “Service Station” as defined in Rule 2 (xxiv) of the Petroleum Rules, 2002.

Further, authorised entity shall furnish following documents as evidence of commissioning of RO:

- Valid PESO License;
- Legal Metrology Calibration Certificate for the dispensing unit;
- Product invoice indicating the first supply of MS and HSD to RO;

- Invoice indicating first sale of MS and HSD from RO; and
- Geo-tagged photographs of the commissioned RO.”;

vi. For Para 6.2.1, the following Para shall be substituted, namely: -

“6.2.1 Commissioning schedule of remote area retail outlets

The authorised entity shall be required to commission minimum five percent (5%) of the proposed ROs in the notified remote areas within five years from the date of grant of authorisation/approval of marketing plan (s), as applicable.”;

vii. For Para 6.2.2, the following Para shall be substituted, namely: -

“6.2.2 Marketing plan

The entity seeking authorisation for retail marketing shall also submit a marketing plan in its application. The entity shall be required to specify the year-wise number of ROs it proposes to set up subject to a minimum of hundred (100) ROs in the application itself. Apart from the above, the marketing plan shall include:

- The source of supply of products to be marketed along with a valid firm supply agreement, for a minimum period of five years;
- Tankage and other infrastructure with their capacity;
- Means of transportation of products to depots and to ROs; and
- Year wise number of ROs proposed to be set up.

Further, subsequent marketing plan(s) shall be submitted in multiples of 100 ROs only. An entity shall be eligible to submit a subsequent marketing plan only upon commissioning 100% of its remote area obligation and at least 50% of ROs under its existing approved marketing plan(s). The Central Government shall process the application for such marketing plan(s) within a period of sixty (60) days from the date of submission of complete application along with requisite documents.

Any RO commissioned by authorised entity in excess to marketing plan or without approval of marketing plan except in remote areas will attract a penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per RO and shall be regularised on payment of the said penalty and subsumed in subsequent marketing plan. Excess ROs commissioned shall also count for remote area obligation as per applicable provisions. Entity will also be required to submit the additional Bank Guarantee (BG) of ₹2 Crore (Rupees two crore) for every 100 ROs towards maintaining disciplined behavior or on *pro rata* for less than 100 ROs commissioned without marketing plan or in excess of marketing plan approved along with applicable Remote Area BG. This provision shall also regulate excess ROs commissioned after 08.11.2019 and till date of notification of this amendment.”;

viii. In Para 6.2.3.1, for the numbers, letters and words “P-23015/1/2003-Mkt. dated 5th August 2003”, the numbers, letters and words “M-12029(11)/5/2020-OMC-PNG dated 13th October, 2021” shall be substituted;

ix. For Para 6.2.3.2, the following Para shall be substituted, namely: -

“6.2.3.2 The following two options shall be available to the entity in respect of its obligation towards remote area ROs which it has to exercise at the time of submission of application itself:

Option-1: Upfront payment of ₹ 2 crore (Rupees two crore) per remote area RO within one month of grant of authorisation to the Central Government in case the entity does not want to set up such ROs itself.

Option-2: Submit a Bank Guarantee (BG) of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO to the Central Government within ninety (90) days from the date of issuance of LOI in case the applicant entity wants to set up such ROs itself. The compliance shall be monitored at the end of five years of grant of authorisation/approval of marketing plan (s), as applicable.”;

x. The following shall be inserted as Para 6.2.3.3 after the Para 6.2.3.2, namely: -

“6.2.3.3 In case, the authorised entity fails to commission requisite remote area ROs within five years from the date of grant of authorisation/approval of marketing plan(s), as applicable, such entity may choose any of the following two options:

Option-I: Remote area compliance by way of encashment of BG equivalent to the shortfall in remote area ROs @ ₹ 3 crore per RO.

Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.

The entity shall submit an additional BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO, covering both the additional ROs and the shortfall ROs, after accounting for the BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO commissioned.

In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within the additional period of two years, the BG @ ₹3 Crore per shortfall RO shall be encashed at the end of the said period.

Authorised entities that have completed five years of their authorisation /approval of marketing plan(s), as applicable, shall be required to exercise either Option I or Option II as detailed in Para 6.2.3.3 within a period of one month from the date of notification of this amendment.

Authorised entities that have not completed five years of their authorisation / approval of marketing plan (s), as applicable, shall be required to exercise either Option I or Option II as detailed in Para 6.2.3.3 within a period of one month from the date of completion of the fifth year of the authorisation/ approval of marketing plan (s), as applicable.

If authorised entity fails to exercise Option I or Option II as per timeline stipulated in Para 6.2.3.3, action shall be taken for non-compliance of remote area obligation as per Option I of Para 6.2.3.3.

Further, all cases where BGs have already been encashed, or penalty paid for non-compliance of remote area obligation shall be treated as closed cases and shall not be reopened. However, in cases where BG has already been encashed due to short fall in commissioning of ROs in remote area at the end of third and fourth year of the grant of authorisation/approval of marketing plan, as applicable, and the entity subsequently commissions Remote Area ROs within the stipulated period of five years on cumulative basis, such commissioned ROs may be set off against future Remote Area obligations under subsequent marketing plan(s).

Entities who have approached any court of law with regard to encashment of BG for non-compliance of remote area obligation and want to avail option II as detailed in Para 6.2.3.3 shall have to withdraw the case unconditionally.”;

xi. The existing Para 6.2.3.3 shall stand renumbered as Para 6.2.3.4;

xii. For Para 6.2.5, the following Para shall be substituted, namely: -

“6.2.5 Bank guarantee (BG) and penalties

The entity shall deposit BGs with the Central Government at the time of grant of authorisation/approval for marketing plan(s) towards the following:

i. **Remote Area Obligation:** The remote area compliance by the authorised entity shall be regulated as per Para 6.2.1, Para 6.2.3.2 and Para 6.2.3.3. If the authorised entity fails to commission any remote area RO as per the timelines detailed in Para 6.2.1, Para 6.2.3.2 and Para 6.2.3.3 as the case may be, the Central Government shall en-cash BG equivalent to ₹3 crore (Rupees three crore) per remote area RO corresponding to short fall in commissioning vis-à-vis obligations. The entity shall also have the option of paying the penalty of ₹3 crore (Rupees three crore) per remote area RO corresponding to short fall in commissioning vis-à-vis obligations. The BG of ₹3 crore (Rupees three crore) per remote RO shall be released by Central Government after the authorised entity has discharged its full obligations against the marketing plan either by setting up of the RO itself within stipulated time or by paying the penalty of ₹3 crore (Rupees three crore) per remote area shortfall RO.

However, in case the entity has chosen Option 1 in Para 6.2.3.2 above, no BG will be taken from it on account of commissioning of remote area RO.

ii. **Maintaining disciplined behavior:** The authorised entity shall deposit BG as detailed below towards maintaining disciplined behavior in the market in terms of adherence to universal service obligation, making proper representation about its operations to the public/dealers, providing high customer service to customers, making provision of alternate fuel at ROs within prescribed timelines and providing timely and regular information about its infrastructure/sales/operations etc. to the Central Government or its nominated agency:

(a) BG of ₹5 crore (Rupees five crore) at the time of grant of authorisation.

(b) BG of ₹2 crore (Rupees two crore) per 100 ROs against subsequent marketing plan(s).

Penalties:

The Central Government shall levy a penalty of ₹25 lakh (Rupees twenty five lakh) in case of each established instance of indiscipline and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.

In case, the authorised entity fails to install alternate fuel facility at RO as per the timelines prescribed in Para 6.1.3 and 6.1.3.1 above, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO, and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.

In case, the authorised entity commissions any RO without approved marketing plan or in excess of approved marketing plan except in remote areas, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO, and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.

If the authorised entity fails to pay the penalty within one month of its levy, the Central Government shall encash the BG equal to penalty value and the authorised entity shall be required to replenish BG to the full value within a period of sixty (60) days from the date of encashment of BG.

iii. In case of repeated default in maintaining discipline, both the BGs deposited with the Central Government towards remote area obligation and maintaining disciplined behavior shall be en-cashed by the Government and any amount deposited/paid by the authorised entity to the Government shall stand forfeited. Further, the Central Government may also revoke the marketing authorisation in public interest.

iv. The entity shall be required to renew the BG deposited by it at least one month before its expiry. In the event of failure to do so, the Government shall be at liberty to en-cash the said BG prior to its expiry.”;

xiii. In Para 7.1, for the words “would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement.”, the words “shall be required to file a statement every year before 30th of June to the Central Government along with audited accounts statement duly supported by an affidavit to the effect that the entity has maintained minimum net worth requirement during the preceding financial year.” shall be substituted;

xiv. For Para 7.2, the following Para shall be substituted, namely: -

“7.2 Application process

The entity seeking authorisation for bulk marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh) and need to pay upfront at the time of grant of authorisation, an amount of ₹15 crore (Rupees fifteen crore) as non-refundable authorisation fees.

The entity seeking authorisation for bulk marketing shall include in its application to the Central Government a marketing plan detailing the following:

- The source of supply of products to be marketed along with a valid firm supply agreement, for a minimum period of five years;
- Tankage and other infrastructure with their capacity;
- Means of transportation of products to depots and to bulk customers;
- Total quantum and type of products to be covered.

Eligible applicants meeting all prescribed conditions shall be issued LOI within sixty (60) days from the date of submission of complete application.

The entity shall be required to furnish following documents within ninety (90) days from the date of issuance of LOI, which may be extended by the Central Government for further period of ninety days on the request of LOI holder:

- (i) Requisite BGs valid for minimum five years in the format as may be prescribed,
- (ii) Valid firm Supply Agreement for the products to be marketed, for a minimum period of five years.

Upon submission of the requisite BGs, firm Supply Agreement, and fulfillment of all requisite requirements, authorisation shall be granted to the entity in the prescribed format within Sixty (60) days from the date of submission of all requisite documents. Failure to submit the aforesaid documents within the stipulated period shall render the LOI liable to be summarily cancelled.”;

xv. In Para 8, for the word and numbers “5 and 6”, the word and numbers “5, 6 and 7” shall be substituted;

xvi. In Para 9.1. –

- (a) in sub-para i., for the words “timelines”, the words “timeline” shall be substituted;
- (b) for sub-para ii., clause b), the following clause shall be substituted, namely: -

“b) deposit a BG of ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote RO of shortfall as a security towards setting up the remote area ROs within two years and six months from the date of notification of the new guidelines. In case the authorised entity fails to set up remote area ROs within the stipulated time, the entities shall have to choose from following two options within one month of notification of these guidelines:

Option-I: Remote area compliance by way of encashment of BG equivalent to the shortfall in remote area ROs @ ₹ 3 crore per RO.

Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.

The entity shall submit an additional BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO, covering both the additional ROs and the shortfall ROs, after accounting for the BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO commissioned.

In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within an additional period of two years, the BG @ ₹3 Crore per shortfall RO shall be encashed at the end of the said period.”;

(c) for sub-para iii., the following shall be substituted, namely: -

“In addition to conventional fuels, the authorised entities are required to install facilities at their ROs for marketing at least one new generation alternate fuel in accordance with Paras 6.1.3 and 6.1.3.1 above.”;

(d) the following shall be inserted as sub-para vi. after the sub-para v., namely: -

“Further, any subsequent marketing plan and its contents, the conditions for its submission and processing, regulation of ROs commissioned in excess to marketing plan or without approval of marketing plan, penal provisions, submission of BG towards maintaining disciplined behavior and remote area obligation etc. shall be governed as per provisions of Para 6.2.2 above.”;

xvii. For Para 9.2, the following Para shall be substituted, namely: -

“9.2 Marketing in case of existing PSU OMCs (IOCL, BPCL and HPCL):

i. PSU OMCs shall be required to set up at least five percent (5%) of the ROs in remote areas. They shall be required to submit a statement indicating total number of ROs set up by them since 08.11.2019 till the date of notification of this amendment, number of ROs set up in remote areas during this period and shortfall, if any, in remote areas within a period of one month from the date of notification of this amendment. In case of any shortfall, the entities shall have to choose any of the following two options within period of two months from the date of submission of said statement:

Option-I: Remote area compliance by depositing penalty with the Government @ ₹3 crore per remote area shortfall RO.

Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.

In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within an additional period of two years, the penalty @ ₹3 crore per shortfall RO shall be deposited with the Central Government within a period of one month of the levy of such penalty.

If any PSU OMC fails to exercise Option I or Option II within one month of date of notification of this amendment, action shall be taken for non-compliance of remote area obligation as per Option I of Para 9.2.i.

ii. The compliance of remote area ROs set up after the date of notification of this amendment shall be regulated at the end of every five years in accordance with Para 9.2.i above.

iii. PSU OMCs shall be exempted from deposition of BG towards fulfillment of remote area obligations. However, applicable penalties in case of default in setting up remote area retail outlets shall apply.

iv. In addition to conventional fuels, the PSU OMCs shall be required to install facilities for marketing at least one new generation alternate fuel at their retail outlet as detailed in Paras 6.1.3 and 6.1.3.1 above.

v. Authorisation fees of ₹15 crore and BG of ₹5 crore payable by new entities for bulk marketing shall not be applicable.”;

xviii. For Para 11, the following Para shall be substituted, namely: -

“11. Surrender of Authorisation

11.1 In case, an entity desires to surrender its authorisation at any point of time, it shall be required to file an application with the Central Government stating reasons thereof in this regard. Central Government shall ordinarily grant permission for the surrender after settling all dues/disputes as detailed below:

- (i) **Within three years from the date of grant of authorisation:** The BG for disciplined market behavior shall be forfeited and the BG deposited towards remote area obligation shall be released after settling all dues/disputes.
- (ii) **After three years from the date of grant of authorisation:** The BG for disciplined market behavior along with BG deposited towards remote area obligation shall be forfeited.

11.2 Surrender of authorisation shall be subject to entity indemnifying the Central Government against any claim or liability arising out of the action taken or purported to have been taken by the entity by virtue of authorisation granted to it.”;

6. The decision herein contained will come into force at once and will remain in force till further orders.

ARUN KUMAR, Director